

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

घनश्याम बनाम रामलाल (कोरा)

किरम मुकदमा प्रार्थनापत्र 111-128 नं० 110 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तारीख में जारी हुए
7-20	<p>वाद / <input checked="" type="checkbox"/> प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक <u>28-7-20</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p><i>28/7</i> उभय पक्ष उपस्थित पीछासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक <u>7-8-20</u> को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
7-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण 01 से 08 व 8 के सम्मन बादतामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शापठ किये गये, वकील प्रार्थीगण विपक्षी सं. 7 के विक्रम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तस्वीर माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली दिया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मतेवा आवाजे जिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये विक्रम एक तरफ का कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, वकील प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉसल शुमार लेकर नम्बर से कम ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला नीलवाड़ा</p>	<p>विपक्षी सं. 7 के विक्रम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।</p> <p><i>28/8/20</i></p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

नीलाश्रीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

पुकदमा संख्या - 110/20 प्रा.पत्र

1- श्री रामलाल ज. श्री मोहन रेजर निवासी - कैरिया तहसील - माण्डल (वर्ग 1)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री रामलाल ज. श्री मोहन रेजर निवासी - कैरिया तहसील - माण्डल (वर्ग 1)
(प्रा.पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....**कैरिया**.....पटवार हल्का.....**कैरिया**.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.....**3393/2904**.....कुल किता.....**01**.....रकबा.....**04**.....वीघा.....**—**.....विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हटने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक**03-07-20**.....को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....**कैरिया**.....पटवार हल्का.....**कैरिया**.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....**3393/2904**.....कुल किता.....**01**.....रकबा.....**04**.....वीघा.....**—**.....विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....**आलमारी**.....**400/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

8

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

8

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा